No.I-27011/2/2017-Coord.
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001
Dated: .07.2017

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of June, 2017 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389227

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Cabinet Secretariat, New Delhi.
3. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of June, 2017"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JUNE, 2017

(1)Notifications:-

(I) Three notifications under section 462 of the Companies Act, 2013[CA-13] have been issued after laying of such notifications in draft form before both houses of Parliament. These notifications provide exemptions from the provisions of the CA-13 to respective companies (viz. Private companies, Government companies and charitable companies) as per recommendations of Companies Law Committee and other suggestions of stakeholders.

(II) Invoking the Powers of the Government under Section 54 of the Competition Act, 2012 (12 of 2003), two notifications were issued wherein the Central Government, in public interest, exempted every person or enterprise who is a party to a combination as referred to in Section 5 of the said Act from giving notice of the combination to the Competition Commission of India within thirty days mentioned in sub section 2 of Section 6 of the said Act, for a period of five years from the date of publication of notification and exempted the Vessels Sharing Agreement of Liner Shipping Industry from the provisions of Section 3 of the said Act, for a period of one year with effect from the 20th June, 2017.

The first notification is expected to significantly ease the Mergers and Acquisitions climate in the country in pursuance of the Government's objective of promoting Ease of Doing Business in the country and the second notification is expected to cater to the needs of the Shipping Industry for optimally utilizing capacities of Cargo Vessels and reduce operational costs.

(III) A notification for amending the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules, 2014 has been issued. Through the amendment, the following changes have been made:-

(i) Cases where a company has issued a notice of resolution for voluntary winding up through advertisement and gazette notification as required under section 485 of Companies Act, 1956 are allowed to continue to be dealt with under the provisions of Companies Act, 1956. Prior to this amendment only voluntary

winding-up petitions pending with High Court as on 1st April, 2017 were to be continued with High Court.

(ii) Change, of a technical nature, has also been made in the rule relating to transfer of pending proceedings where companies were not able to repay debts with a view to provide greater clarity in interpretation.

(iii) An order under section 470 (Removal of Difficulty) has been issued in order to provide for applicability of provisions of the Companies Act, 1956 in respect of pending voluntary winding up matters as per the revised stage.

(iv) This Ministry had placed, on 26th May, 2017, draft Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, on the Ministry's website for public consultation up to 27th June, 2017. Concerned Ministries/Departments and Regulators have also been consulted. Large number of suggestions have been received which are being examined.

(v) This Ministry has, on 28th June, 2017, placed a consultative paper for public suggestions/comments regarding commencement of provisions of section 2(87) of the Companies Act, 2013 which provides for restriction on the number of layers of subsidiaries which a company may have. The suggestions/comments from the stakeholders as well as concerned Ministries/Departments/Regulators have been sought up to 20th July, 2017.

(vi) This Ministry has notified the Companies (Audit and Auditors) Second Amendment Rules, 2017 w.r.t. rotation of auditors. Through this amendment the threshold for private companies required to enforce rotation of auditors have been raised from Rs. 20 crore to Rs. 50 crore of paid up share capital or more.

(2) As on 30th June 2017, names of 102982 companies have been removed from the register of companies maintained by the Registrar of Companies by following the due procedure under Section 248 read with the Rules thereunder.

सं. आई-27011/2/2017-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः .07.2017

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जून, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

भारत सरकार का अवर सचिव

दूरभाषः 23389227

संलग्नः उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का जून, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

भारत सरकार का अवर सचिव

जून, 2017 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) अधिसूचनाएं:-

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अधीन तीन अधिसूचनाएं संसद के दोनों सत्रों के समक्ष मसौदा रूप में प्रस्तुत करने के बाद जारी की गई हैं। ये अधिसूचनाएं कंपनी विधि समिति की सिफारिशों और पक्षकारों के सुझावों के अनुसार कुछ कंपनियों (जैसे प्राइवेट कंपनियों, सरकारी कंपनियों और धर्मार्थ कंपनियों) को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से छूट प्रदान करती हैं।

(II) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2012 (2003 का 12) की धारा 54 के अधीन सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो अधिसूचनाएं जारी की गई जिनमें केंद्र सरकार ने जनहित में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या उद्यम जो उक्त अधिनियम की धारा 5 में यथाउल्लिखित संयोजन का एक पक्ष है, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 में उल्लिखित तीस दिन की अवधि में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को संयोजन का नोटिस देने से छूट दी गई और 20 जून, 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए लाईनर पोत परिवहन उद्योग के जलयान हिस्सेदारी करार को उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को छूट दी गई।

पहली अधिसूचना से देश में व्यापार करने की आसानी को बढावा देने के सरकारी उद्देश्य के अनुसरण में देश में विलय और अधिग्रहण परिवेश में काफी सुगमता आने की आशा है और दूसरी अधिसूचना से कारगो जहाजों की क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने तथा परिचालन लागत कम करने में पोत परिवहन उद्योग की आवश्यकता पूरी होने की आशा है।

(III) कंपनी (लंबित कार्रवाहियों का अंतरण) नियम, 2014 को संशोधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इस संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-

(i) ऐसे मामले जहां किसी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 485 के अधीन यथाअपेक्षित विज्ञापन और राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से स्वैच्छिक समापन के लिए संकल्प का नोटिस जारी किया है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस संशोधन से पहले केवल 1 अप्रैल, 2017 तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित स्वैच्छिक समापन याचिकाओं को ही उच्च न्यायालय में जारी रखा जाना था।

(ii) लंबित कार्यवाहियों के अंतरण से सबंधित नियम में भी जहां कंपनियां ऋण चुकता करने में असमर्थ हैं, तकनीकी प्रकृति का संशोधन किया गया है ताकि व्याख्या को अधिक स्पष्ट किया जा सके।

(iii) लंबित स्वैच्छिक समापन के मामलों में संशोधित स्तर पर कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए धारा 470(कठिनाइयां दूर करना) के अधीन एक आदेश जारी किया गया है।

(iv) इस मंत्रालय ने कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्य निर्धारण) नियम, 2017 का प्रारूप इस मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए 26 मई, 2017 को 27 जून, 2017 तक रखा था। संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा नियामकों का भी परामर्श लिया गया है। बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(v) इस मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में जनता से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र वेबसाइट पर रखा है जिसमें किसी कंपनी द्वारा अनुषंगियों के स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। पक्षकारों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों/नियामकों से सुझाव/टिप्पणियां 20 जुलाई, 2017 तक मांगी गई हैं।

(vi) इस मंत्रालय ने लेखापरीक्षकों के रोटेशन के संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) दूसरा संशोधन नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से प्राइवेट कंपनियां जिनके लिए लेखापरीक्षकों का रोटेशन लागू करना अपेक्षित है, की प्रदत्त शेयरपूंजी की सीमा 20 करोड़ रुपए से बढाकर 50 करोड़ रुपए या अधिक कर दी गई है।

(2) 30 जून, 2017 तक धारा 248 और इसके साथ पठित नियमों के अधीन विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखे जा रहे कंपनियों के रजिस्टर से 102982 कंपनियों के नाम हटाए गए हैं।